कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 2171 /2ई0व0भू0,
सेवा में,

दिनांक 25 /08/2017

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय :– लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव संख्या–10057/2015)

सन्दर्भ :– **Online Objection Dated 10.08.2017**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें, लगायी गयी आपत्तियों का निरस्तारण कर निस्तारण आख्या निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	In the village wise breakup the proposed road is passing through the boundary of 7 villages while the village level committee proceeding is provided with the FRA certificate of only 4 villages. The VLC proceedings for remaining 3 villages may provide/uploaded in online Part I.	FRA certificate of remaining 3 villages has been prepared and uploaded in online part-I.
2	The Hard copy of the proposal containing all original documents is not provided in this office which is mandatory as per the directions of ministry vide letter dated 17-11-2016.	Hard Copy of the proposal containing all original documents has been submitted vide this office letter No. 1442/2 EVB Dtd 24.06.2017.
3	The original copy of all documents revised by the State Govt may also be provided in this office.	Original copy of all documents has been submitted vide this office letter No. 1442/2 EVB Dtd 24.06.2017.

Therefore, you are request to upload the same from your end please.

Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar

o/c

(14)

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Mem-3/2014

Dated- 19.12.2014

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug. 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.747 hactares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Lohari talli-Silli-Band-Kansyari motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Loharli, Silli, Band and Kansyari** Village in **Garur** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.747 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3 **(Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.)**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;------ **(Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.)**

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached**.

Enclose – as above

Signature

Dated 19.12.2014

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –सिल्ली
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिल्ली द्वारा दिनांक 20-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत सिल्ली (तोक कनेड़ी एवं सिल्ली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव सिल्ली, वि0ख0–गरुड़ (बागेश्वर) उत्तराखण्ड

सरपंच (केसिंग), वन पंचायत सिल्ली कनेड़ी, पो0/वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर) Date 20-8-17

ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 20-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–सिल्ली, तोक–सिल्ली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री गणेश चन्द्र पाण्डे	Ganesh
2-	श्रीमती शोभा पाण्डे	शोभा पाण्डे
3.	श्री नवीन चन्द्र देवपुड़ी	Mohan
4-	श्री नवीन चन्द्र खोलिया	नवीन चन्द्र खोलिया
5-	श्रीमती कमला दुबे	कमला दुबे
6.	श्रीमती गीता देवी	गीता देवी
7-	श्री मुकेश नेगी	मुकेश नेगी
8.	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	Kauj
9.	श्री रघुवीर सिंह नेगी	रघुवीर सिंह
10	श्री नन्दा वल्लभ पन्त	Nandan
11-	श्री गिरीश चन्द्र दुबे	गिरीश चन्द्र दुबे
12.	श्रीमती भावना पाण्डे	भावना पाण्डे
13.	श्रीमती मालती देवी	(अंगूठा निशान) उपरोक्त निशान अंगूठा मालती देवी
14	श्रीमती शोभा पाण्डे	शोभा पाण्डे
15-	श्री राजेन्द्र जोशी	राजेन्द्र

नवीन खोलिया

प्रधान

ग्राम पंचायत सिल्ली कनेडी

वि०खि० कपकोट (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 20-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–सिल्ली, तोक–कनेड़ी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती आनन्दी देवी	आनन्दी देवी
2	श्री मदन मोहन टम्टा	मदन मोहन टम्टा
3	श्री प्रकाश शर्मा	प्रकाश चन्द्र
4	श्री राजेन्द्र शर्मा	राजेन्द्र शर्मा
5	श्री भुवन शर्मा	भुवन शर्मा
6	श्री ललित शर्मा	ललित शर्मा
7	मोहन शर्मा	मोहन शर्मा
8	श्रीमती हेमा शर्मा	हेमा शर्मा
9	श्री प्रयाग दत्त	प्रयाग दत्त

सरपंच

ग्राम पंचायत सिल्ली कनेड़ी

पो0/वि0ख0 कपकोट (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –दुदिला
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुदिला द्वारा दिनांक 21-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत दुदिला (तोक दुदिला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
वि0ख0-गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

ह0 /
प्रधान
ग्राम पंचायत दुदिला ग्राम प्रधान
वि0 ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनबासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 21-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–दुदिला, तोक–दुदिला

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बिपिन राम	[illegible]
2	हीरालाल	[illegible]
3	दिनेश राम	दिनेश राम
4	भुवन राम	भुवन राम
5	जगदीश प्रसाद	जगदीश प्रसाद
6	आनन्द प्रसाद	Anand
7	भवानी राम	भवानी राम
8	प्रमोद कुमार	प्रमोद कुमार
9	पूरन राम	पूरन राम
10	नन्दी देवी	नन्दी देवी

बिमलादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत दुदिला
वि0 ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –अमोली
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अमोली द्वारा दिनांक 21-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत अमोली (तोक अमोली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि0ख0-गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

दिनेश चन्द्र
प्रधान
ह0/
ग्राम पंचायत अमोली
ग्राम प्रधान
वि0ख0-गरुड़ जिला-बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 21-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–अमोली, तोक–अमोली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेन्द्र राम पुत्र स्व विशनराम (W.M.)	राजेन्द्र राम
2-	जगदीशराम पुत्र अमरराम (W.M.)	जगदीश राम
3-	आगुली देवी W/O मोहनराम	आगुली देवी
4-	विशनराम पुत्र दीवान राम	विशान राम
5-	हंसी देवी W/O गोबिन्द कोहली (W.M.)	हंसी देवी
6-	पार्वती देवी W/O हेमचन्द्र (W.M.)	पार्वती देवी
7-	दिनेशचन्द्र S/O देवीदत्त	दिनेशचन्द्र
8-	नन्दकिशोर S/O गोपाल राम	नन्द किशोर
9-	कान्तीराम पुत्र बचीराम	कान्ती राम
10-	मोहन राम पुत्र जगतराम	मोहन राम

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –मटेना.
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मटेना** द्वारा दिनाक 22.8.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत .मटेना (तोक मटेना एवं सेलखोला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मटेना
वि0ख0-गरूड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

ह0/
प्रधान
ग्राम पंचायत मटेना
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 22-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–मटेना, तोक–मटेना

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गणेश काण्डपाल	[illegible]
2	ललित मोहन	ललितमोहन
3	कमल बल्लभ काण्डपाल	कमलबल्लभ Kandpal
	महेश चन्द्र काण्डपाल	
4	नवीन चन्द्र जोशी	नवीन चन्द्र जोशी
5	शंकर दत्त काण्डपाल	[illegible]
6		
7	मोती बल्लभ	[illegible]
8	शिव शंकर जोशी	[illegible] Joshi
9	योगेश चन्द्र जोशी	योगेश जोशी
10	सुरेश चन्द्र जोशी	सुरेश चन्द्र जोशी
11	गोपाल दत्त	गोपालदत्त
12	[illegible] काण्डपाल	[illegible] Kandpal
13	भुवन चन्द्र	भुवन चन्द्र
14	राजेन्द्र कुमार	राजेन्द्रकुमार
15	गंगादत्त	गंगादत्त

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत मटेना
वि0 ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 22-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–मटेना, तोक–सेलखोला

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश चन्द्र काण्डपाल	[illegible]
2	नवीन चन्द्र	नवीनचन्द्र
3	शंकर दत्त काण्डपाल	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	भुवनेश जोशी	[illegible]
6	योगेश चन्द्र जोशी	योगेश जोशी
7	सुरेश चन्द्र जोशी	सुरेश चन्द्र जोशी
8	नवीन चन्द्र	नवीनचन्द्र
9	भुवन चन्द्र	भुवनचन्द्र
10	गोपाल दत्त	गोपालदत्त
11	भैरवचन्द्र काण्डपाल	भैरवचन्द्रकाण्डपाल
12	मोहन चन्द्र	मोहनचन्द्र
13	गिरीश चन्द्र काण्डपाल	गिरीशचन्द्र
14	कमलावल्लभ	कमलावल्लभ

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत मटेना
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नाम:– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –जिनखोला
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जिनखोला द्वारा दिनांक 23-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत जिनखोला (तोक डोपा एवं जिनखोला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत जिनखोला
वि0ख0 गरूड़, बागेश्वर
उत्तराखण्ड

प्रधान
ग्राम पंचायत जिनखोला
तोक गरूड़ जनपद – बागेश्वर
ह0 /
ग्राम प्रधान

नोट:– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 23-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–जिनखोला, तोक–जिनखोला

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री भवानीराम S/o पनीराम	भवानीराम
2-	श्री शंकर राम S/o किशनराम	संकर राम
3.	श्री दानीराम S/o तिलराम	दानीराम
4-	" दिवानराम S/o नाथूराम	दिवान राम
5-	" लछीराम S/o धनराम	लछीराम
6-	" हरीराम S/o खगराम	हरी राम
7-	" लालूराम S/o रामलाल	लालूराम
8	" राजनराम S/o रामलाल	राजनराम
9-	" बलवन्तसिंह S/o सगतसिंह	बलवन्तसिंह
10	" चन्द्रकान्त भंडारी S/o सगतसिंह	चन्द्रकान्त
11-	" धनसिंह S/o शोबनसिंह	धनसिंह
12-	" हरीशसिंह S/o पूनसिंह	हरीशसिंह
13	श्रीमती हीरादेवी W/o गोपालसिंह	
14-	श्री गोपालसिंह S/o दिवानसिंह	गोपालसिंह
15-	" उमेदसिंह S/o कुन्दनसिंह	उमेदसिंह
16	" बहादुरसिंह S/o दीवानसिंह	बहादुरसिंह
17-	" राजनसिंह S/o लछमसिंह	राजनसिंह

नरुली देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जिनखोला
रेजा गरुड़ जनपद – बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –बण्ड
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बण्ड द्वारा दिनांक 23-8-2017को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बण्ड (तोक बण्ड एवं पन्याली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

प्रधान
ग्राम पंचायत बण्ड, मासैमालिम
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)
ह0 /
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव ...
वि0ख0-गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

सरपंच
वन पंचायत बण्ड पन्याली
वि0 ख0 गरुड़ ...
... बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम:– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 23-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–बण्ड, तोक–बण्ड

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री शंकर नाथ सिंह	[signature]
2-	श्री नन्दनसिंह बिष्ट	[signature]
3-	श्री केसर सिंह	केसरसिंह
4-	बहादुरसिंह बिष्ट	Bahadur singh
5-	भुवन	Bhuwan
6-	कुन्दनसिंह	[signature]
7-	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र
8-	रतनसिंह	रतनसिंह
9-	किशनसिंह	किशनसिंह
10-	जगदीश सिंह	[signature]
11-	आनन्द सिंह	[signature]
12-	शंकर सिंह	Shankar
13-	पूरनसिंह	[signature]
14-	लक्ष्मणसिंह	[signature]
15-	मैनासिंह	[signature]
16-	कुन्दनसिंह	मैनासिंह
17-	पानसिंह	कुन्दनसिंह
18-	रमासिंह	पानसिंह रमासिंह

प्रधान [signature]
ग्राम पंचायत [illegible]
वि0ख0 गरूड़ ([illegible])

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 23-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–बण्ड, तोक–पन्याली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री धनीराम आर्य s/o बचीराम	[signature]
2	दीवानराम s/o बचीराम	[signature]
3	मोहनसिंह मधनराम	मधनराम
4	मनोज कुमार	[signature]
5	दीपक कुमार	[signature]
6	भूपेन्द्र प्रसाद	[signature]
7	विनोद कुमार	[signature]
8	हरीश राम	[signature]
9	शेरराम	शेरराम
10	हीराराम	हीराराम
11	रमेशराम	रमेशराम
12	राजनराम	राजनराम

प्रधान [signature]
ग्राम पंचायत ...
वि0ख0 गरुड़ (...)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....बण्ड कनस्यारी
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....बण्ड........द्वारा दिनांक 16.12.14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....बण्ड कनस्यारी........के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग-(प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....बण्ड....
(वि0खं0–गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

प्रधान
ग्राम पंचायत बण्ड पो0–गागरीगोल
ह0 /
वि0ख0 गरुड़, जिला – बागेश्वर
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 16-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	धनीराम आर्य S/o श्री [illegible]	[illegible]
2	आनन्दसिंह S/o श्री दिवान सिंह	[illegible]
3	शंकरसिंह S/o श्री [illegible]सिंह	Shankar
4	महेन्द्र सिंह S/o श्री कमलसिंह	महेन्द्र सिंह
5	मैनसिंह S/o श्री कमलसिंह	मैनसिंह
6	राम सिंह S/o श्री [illegible]सिंह	रामसिंह
7	किशन सिंह S/o श्री हयातसिंह	किशन सिंह
8	देवसिंह S/o श्री गोपालसिंह	देवसिंह
9	[illegible] S/o प्रेमसिंह	[illegible]
10	पूरन सिंह S/o हयात सिंह	पूरनसिंह
11	रामसिंह S/o श्री अमरसिंह	रामसिंह
12	मोहन सिंह S/o रामसिंह	मोहन सिंह
13	हीराराम S/o धनीराम	हीराराम
14	धनीराम S/o पंचीराम	धनीराम
15	चनीराम S/o मनीराम	चनी राम

16- पूरन राम S/o [illegible] — पूरन राम

17- दिवान राम S/o श्री [illegible] — दिवानराम

18- त्रिलोक सिंह S/o श्री मदनसिंह — त्रिलोकसिंह

19 महेन्द्र राम S/o श्री [illegible] — महेन्द्रराम

20. शंकर दत्त S/o परमानन्द — शंकर दत्त [illegible]

21 शिव राम S/o मदनराम — शिवराम

22 तेजसिंह [illegible] S/o [illegible] — [illegible]

23 केशरसिंह S/o नरसिंह — केशरसिंह

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरूड

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– गरूड़

उपखण्ड गरूड परिक्षेत्र के अन्तर्गत लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.747 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.00 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरूड की दिनांक 19.12.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री सी0एस0डोभाल, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, गरूड की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री सी0एस0डोभाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री खड़क सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	श्री धर्मा राम	बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible]	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरूड परिक्षेत्र के अन्तर्गत लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

दि0 19.12.2016

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

प्रपत्र–23.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 19-12-15 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 19.12.2015 द्वारा लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए 1.747 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए 1.747 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए 1.747 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 19-12-2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/ 98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

2.24

प्रपत्र–28

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग वास्तविक लम्बाई 8.20कि.मी. के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि एवं नाप भूमि को लो0नि0वि0 को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

बैठक में यह भी तय किया गया हे आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricaltural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थानः–

दिनांकः:–

ह0

ग्राम प्रधान / सरपंच
की मुहर

प्रधान
ग्राम पंचायत जिनखोला
विकास खण्ड गरूड़ जनपद – बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत अमोली
वि0ख0-गरूड़ जिला-बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत मटेना
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

सरपंच
वन पंचायत सिल्ली कमेड़ी
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत सिल्ली
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

ग्राम पंचायत दुदिला
वि0 ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत बण्ड, ग्रामसभा
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

सरपंच
वन पंचायत बण्ड
वि0 ख0 गरुड़ बैजनाथ (बागेश्वर)

नोट– परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।